कार्यालय उप अधीक्षक पुलिस वृत्त धौलपुर जिला धौलपुर

कमांकः– 41

दिनांकः– 06/01/2021

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय,
जिला धौलपुर।

विषयः– जांच रिपोर्ट सीएम हेल्प लाईन–181 पर प्राप्त शिकायत संख्या 12203359047331 दिनांक 27.12.2020 द्वारा ज्ञानेश कुमार निवासी एस–1 झारखण्ड अपार्टमेन्ट झारखण्ड मोड, जनरल रजत सिंह मार्ग, खाती पुरा के संम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सीएम हेल्प लाईन–181 पर परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की दर्ज कराई कि दिनांक 28/11/2020 को प्रमुख समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका जयपुर संस्करण में प्रकाशित खबर शीर्षक "पुलिस पीडिता को जबरन लाई और रास्ते में शराब ली, यह तो गुंडागर्दी है" के सम्बन्ध में।

उक्त शिकायत की जांच थानाधिकारी थाना निहालगंज धौलपुर से कराई जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट थानाधिकारी थाना निहालगंज धौलपुर के वर्णित प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है–

1. शीना चौधरी जो कि महात्मा गांधी नेषनल फैलोषिप (MGNF) के तहत जिला परिषद धौलपुर के सम्बन्ध में दिनांक 20.11.2020 को सुबह 10.40 एएम से गायब होने के सम्बन्ध में उसके चाचा प्रवीण कुमार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर थाना निहालगंज पर दिनांक 21.11.2020 को एमपीआर दर्ज कर उसकी तलाश प्रारम्भ की गई।
2. इसी कम में दिनांक 23.11.2020 को श्री प्रवीण कुमार द्वारा एक पृथक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की गई कि उनकी भतीजी शीना चौधरी जो दिनांक 20.11.2020 को सुबह 10.40 एएम से गायब है, उन्हें शक है कि उसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने दिल्ली के न्यू फ्रैन्ड्स कॉलोनी के नजदीक बंधक बना रखा है या बहला–फुसलाकर बंधक बनाया हुआ है। इस रिपोर्ट पर थाना निहालगंज पर आपराधिक प्रकरण संख्या 444/2020 दिनांक 23.11.2020 अन्तर्गत धारा 363, 366, 342 आईपीसी में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।
3. अनुसंधान के कम में एक पुलिस टीम को प्रकरण से सम्बन्धित शीना चौधरी की तलाश हेतु दिल्ली रवाना किया गया, जिसके द्वारा स्थानीय पुलिस के सहयोग से दिनांक 24.11.2020 को शीना चौधरी को जामिया नगर थाना क्षेत्र से दस्तयाब कर अनुसंधान के कम में न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 सीआरपीसी के अन्तर्गत बयान लेखबद्ध कराये जाने हेतु हमराह लेकर धौलपुर लाया गया।
4. शीना चौधरी को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुसंधानिक प्रकिया पूर्ण होने तक पुलिस अन्वेषण भवन धौलपुर में रखा गया एवं अनुसंधान के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेडा के समक्ष 164 सीआरपीसी के अन्तर्गत कथन लेखबद्ध कराये गये, जिसमें उसने किसी व्यक्ति द्वारा अपहरण नहीं किये जाने तथा परिजनों द्वारा शादी का दबाव डालने के कारण स्वेच्छा से दिल्ली जाने का कथन किया। अपने कथनों में उसके द्वारा राजस्थान पुलिस द्वारा उसे पूरा सहयोग किये जाने व सुरक्षा प्रदान करने की बात भी कहीं गई।
5. अनुसंधान उपरांत शीना चौधरी को कहां भिजवाया जाये इस तथ्य पर मार्गदर्शन चाहे जाने पर अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि शीना चौधरी पुत्री सतेन्द्रसिंह उम्र 26 साल जाति गुर्जर निवासी जगतपुर थाना तिमारपुर दिल्ली को पुलिस सुरक्षा के साथ जहां वह जाना चाहे, वहां छोडे एवं जिस स्थान पर उसे छोडा जावे वहां से थानाधिकारी से प्रमाणित कराये कि उक्त बालिका को जिला पुलिस धौलपुर द्वारा नियमानुसार छोड दिया गया है। उक्त रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की जावे।
6. न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में शीना चौधरी को दिनांक 26.11.2020 को प्रातः पुलिस टीम के साथ दिल्ली उसके चाहे गये स्थान इलाका थाना जामिया नगर दिल्ली में निवासरत श्रीमती शबनम हासमी के पास छोडा गया एवं सम्बन्धित थानाधिकारी से प्रमाणित करवाया गया।

अतः जॉच रिपोर्ट वास्ते अवलोकनार्थ श्रीमानजी की सेवा में सादर प्रेषित है।

उप अधीक्षक पुलिस
वृत धौलपुर